Date: 26 **जुलाई** 2023

गिग वर्कर्स

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप, जीएस 3 / समावेशी विकास और संबंधित मुद्दे

संदर्भ-

- हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान **प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 पारित किया**।

बिल की मुख्य विशेषताएं-

- राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, **जहां गिग वर्कर्स को कानून के दायरे में** लाने के लिए विधेयक लाया गया है और ये गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है।

गिग वर्कर का पंजीकरण:-

- **राजस्थान के सभी गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और सरकार गिग** वर्कर्स का एक डेटाबेस तैयार करेगी, हर वर्कर के लिए एक यूनिक आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा।

बिल लागू होता है:

- **"एग्रीगेटर"** (खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने वाले डिजिटल मध्यस्थ) और
- **"प्राथमिक नियोक्ता"** (प्लेटफ़ॉर्म-**आधारित श्रमिकों को संलग्न करने वाले व्यक्ति या संगठन**)।
- एग्रीगेटर्स, **जिसमें फूड डिलीवरी ऐप** और ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म शामिल हैं, **को राजस्थान** सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के साठ दिनों के भीतर ऑन-बोर्ड या उनके साथ पंजीकृत सभी प्लेटफॉर्म-**आधारित गिग श्रमिकों** का डेटाबेस प्रदान करना होगा।

कल्याण बोर्ड:-

- विधेयक में एक कल्याण बोर्ड का प्रस्ताव है जिसमें राज्य के अधिकारी, **गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स के पांच**-पांच प्रतिनिधि और नागरिक समाज के दो अन्य लोग शामिल होंगे।
- बोर्ड एक कल्याण कोष **स्थापित करेगा**, विधेयक में **'प्लेटफ़ॉर्म आधारित गिग वर्कर्स फंड एंड वेल्फेयर फीस'** स्थापित करने का भी प्रावधान है, **जिसके तहत गिग श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष** स्थापित किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष:

- **विधेयक के अनुसार,** बोर्ड एक "**सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष**" बनाएगा।

- फंड में व्यक्तिगत श्रमिकों, राज्य सरकार की सहायता, अन्य स्रोतों द्वारा किए गए योगदान और एक 'कल्याण उपकर' शामिल होगा – प्रत्येक लेनदेन से एक कटौती – जिसे एग्रीगेटर को भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

शिकायत निवारण:

- गिग श्रमिकों के पास "अधिनियम के तहत प्रदान की गई पात्रता, भुगतान और लाभ" के साथ "किसी भी शिकायत के लिए सुने जाने का अवसर है।
- विधेयक के अनुसार, एक **कार्यकर्ता किसी अधिकारी के समक्ष या वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन** याचिका दायर कर सकता है।
- **नियोक्ता 'अपीलीय प्राधिकरण' के समक्ष** 90 दिनों के भीतर आदेश पर आपत्ति कर सकता है।

बिल के लिए आपत्तियां और सुझाव-

- यूनियनों ने "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष" **में योगदान करने पर आपत्ति जताई, यह** तर्क देते हुए कि यह **केवल एग्रीगेटर कंपनियों और राज्य निधियों से प्राप्त किया जाना चाहिए**।
- यूनियनों ने सिफारिश की है कि **गिग श्रमिकों के लिए उपलब्ध लाभों को विधेयक में स्पष्ट रूप से गिना** जाएगा, "अन्य लाभ" खंड पर विस्तार किया जाए।
- यूनियनों का कहना है कि कल्याण बोर्ड की एक और जिम्मेदारी **एग्रीगेटर्स के लिए मानक प्रारूप और सिद्धांत विकसित किया जाना चाहिए** ।

गिग अर्थव्यवस्था-

विधेयक के अनुसार, 'गिग वर्कर' का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी व्यवस्था के बाहर काम करता है और जो अनुबंध पर काम करता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर भुगतान की एक निश्चित दर मिलती है।

गिग वर्कर्स:

- **नीति आयोग 'गिग वर्कर्स' को उन लोगों के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी व्यवस्था के बाहर काम में लगे हुए हैं।**
- नीति आयोग की 'इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी' नामक रिपोर्ट में गिग वर्कर को परिभाषित किया गया है।
- **"कोई व्यक्ति जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के साथ-साथ अनौपचारिक क्षेत्र में आय अर्जित करने वाली गतिविधियों में संलग्न है"।**
- इसके अतिरिक्त, यह ओला, उबर, डंजो, स्विगी, जोमैटो **और** अर्बन कंपनी **जैसे प्लेटफार्मों के साथ काम करने वालों** को प्लेटफॉर्म श्रमिकों **के रूप में परिभाषित करता है**।

महत्व:

- गिग अर्थव्यवस्था **अस्थायी, या फ्रीलांस नौकरियों** पर आधारित है, जिसमें अक्सर **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ना शामिल होता है**।
- गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को **इस समय की जरूरतों** और **लचीली जीवन शैली की मांग के लिए अधिक अनुकूल बनाकर लाभान्वित कर सकती है**।
- **समय लचीलापन:** गिग इकोनॉमी में काम करने वाले श्रमिकों को उनकी इच्छानुसार किसी भी घंटे काम करने की अनुमति है।
- **आय लचीलापन:** एक तेजी से आकर्षक बाजार है जो व्यक्तियों को **अतिरिक्त आय अर्जित** करने की अनुमति देता है।

क्षेत्र का आकार:

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 47 प्रतिशत गिग वर्क मध्यम-कुशल नौकरियों **में है, 22 प्रतिशत उच्च-कुशल** और लगभग 31 प्रतिशत **कम-कुशल नौकरियों** में है-
  - **2019-20 में गिग वर्कर्स में** ड्राइवरों और सेल्स पर्सन की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत से अधिक रही।
  - रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 में खुदरा व्यापार और बिक्री में 26.6 लाख गिग वर्कर्स शामिल **थे, और** परिवहन क्षेत्र में लगभग 13 लाख थे**।**
  - 6.2 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र में और 6.3 लाख लोग वित्त और बीमा गतिविधियों **में लगे थे।**

गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

शहरी कारक:

- गिग वर्क काफी हद तक शहर आधारित व्यवस्था है, क्योंकि **इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी तक पहुंच** अभी भी ग्रामीण क्षेत्र तक सीमित है।

सुरक्षा मुद्दे:

- इसके साथ सड़क **सुरक्षा, चोरी और शारीरिक हमले, भेदभाव या उत्पीड़न सहित** व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम आते हैं। यह ऐप-आधारित टैक्सी के काम और वितरण में महिलाओं के **लिए भेदभाव करती है**।

काम का दबाव:

- **सूचीबद्ध एक और चुनौती यह है कि रेटिंग के** आधार पर **प्रबंधन प्रथाओं** और **प्रदर्शन मूल्यांकन** के कारण श्रमिक दबाव रहते **हैं**।
- गिग कार्मिकों को कभी भी काम से हटाया जा सकता है, यानी उन्हें कार्यकाल की असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

सुझाव और आगे का रास्ता-

सामाजिक सुरक्षा उपायों का विस्तार:-

- गिग श्रमिकों और उनके परिवारों **के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है** जैसे कि **अवकाश, स्वास्थ्य पहुंच, व्यावसायिक रोग और कार्य दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति / पेंशन योजनाएं और अन्य आकस्मिक लाभ**।

कौशल:-

- यह सिफारिश की जाती है कि कुशल महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए **समय-समय पर मूल्यांकन** करके और मंच व्यवसायों के साथ साझेदारी करके कौशल अंतराल को कम किया जाए। निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए समग्र डेटा को सार्वजनिक करने का भी सुझाव दिया गया है।

गिग अर्थव्यवस्था में महिलाएं:-

- कंपनियों को श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए लिंग संवेदीकरण और पहुंच जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, विशेष रूप से **महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए**।

स्रोत: TH

Rajiv Pandey

स्थगन प्रस्ताव

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / राज्यव्यवस्था

संदर्भ-

- संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

प्रमुख बिन्दु-

- कांग्रेस सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले को सुलझाने और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए सरकार की संवैधानिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह किया। यह लेख स्थगन प्रस्तावों की अवधारणा और भारतीय संसद में उठाए गए अन्य संसदीय प्रस्तावों से उनके मतभेदों पर प्रकाश डालेगा।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

संसद एक वर्ष में तीन सत्र आयोजित करती है-

- बजट सत्र- फरवरी-मई
- मानसून सत्र- जुलाई-सितंबर
- शीतकालीन सत्र- नवंबर-दिसंबर।

संसद के कार्य संचालन के लिए नियम-

- नियम 377 के अधीन विशेष में तैयार किए गए प्रक्रिया नियम सदस्य को सामान्य लोक हित के मामले उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में, प्रतिदिन 20 सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है।
- राज्य सभा में, सदस्यों को राज्य सभा **में** प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के **नियम 180ए-ई** के तहत लोक महत्व के मामलों का उल्लेख करने की अनुमति है।
- चार मुख्य प्रक्रियाएं हैं जिनके तहत लोकसभा में चर्चा हो सकती है – **नियम 193 के तहत बिना बहस** के **मतदान,** नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव **(एक वोट के साथ),** और **एक स्थगन प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव।** उन्होंने कहा, 'पिछले एक को छोड़कर राज्यसभा में भी इसी तरह के उपाय मौजूद हैं।

प्रक्रिया-

स्थगन प्रस्ताव क्या है?

- स्थगन प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए किया जाता है जिसके लिए तत्काल चर्चा और बहस की आवश्यकता होती है।
- स्थगन एक निश्चित समय के लिये बैठक में कामकाज को निलंबित कर देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिये हो सकता है।
- जब बैठक अगली बैठक के लिये नियत किसी निश्चित समय/तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो इसे अनिश्चित काल के लिये स्थगन कहा जाता है।
- इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्त्व शामिल है, इसलिये राज्यसभा को इस उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह **तत्काल लोक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सभा के** सामान्य कार्य को स्थगन कर देता है।
- **व्यक्तिगत मामलों या स्थानीय शिकायतों से संबंधित मामलों को** नहीं उठाया जा सकता है, या ऐसे मामले जो न्यायाधीन हैं या केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिम्मेदारी को शामिल नहीं करते हैं, उन्हें इस उपकरण के तहत नहीं उठाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की भी अनुमति नहीं है।

भारतीय संसद में संसदीय प्रक्रियाएं–

- लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संसद सदस्यों के पास प्रासंगिक मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं।
- लोकसभा में चार मुख्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं- नियम 193 के तहत मतदान के बिना बहस, नियम 184 के तहत एक प्रस्ताव (वोट के साथ), स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव.
- अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर इसी तरह के उपाय राज्यसभा में भी मौजूद हैं।

नियम 193: अल्पकालिक चर्चा–

- लोकसभा के नियमों के नियम 193 और राज्यसभा के नियमों के नियम 176 के तहत अल्पकालिक चर्चा हो सकती है।
- इन चर्चाओं के लिए सभापति या अध्यक्ष की संतुष्टि की आवश्यकता होती है कि यह मामला अत्यावश्यक और पर्याप्त सार्वजनिक महत्व का है।
- इसके बाद सभापति या अध्यक्ष चर्चा के लिए तारीख तय कर सकते हैं, जिससे ढाई घंटे तक की समय अवधि की अनुमति मिल सकती है।
- नियम लागू करने पर असहमति के कारण ही मणिपुर के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

नियम 184:–

- आम जनता के हित के मामले पर एक प्रस्ताव नियम 184 के तहत स्वीकार किया जा सकता है यदि यह कुछ शर्तों को पूरा करता है।
- प्रस्ताव में तर्क, निष्कर्ष, विडंबनापूर्ण अभिव्यक्ति, लांछन, या मानहानिकारक बयान शामिल नहीं होने चाहिए।
- यह हाल की घटना तक ही सीमित होना चाहिए और किसी भी वैधानिक प्राधिकरण, आयोग या जांच अदालत के समक्ष लंबित मामले से संबंधित नहीं हो सकता है।
- अध्यक्ष अपने विवेक से ऐसे प्रस्ताव को उठाने की अनुमति दे सकता है, और चर्चा के लिए एक समय अवधि आवंटित की जा सकती है।

स्थगन प्रस्ताव का महत्व–

- यह संसद को दबाव वाले मामलों पर तुरंत चर्चा करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा या विलंबित नहीं किया जाता है।
- यह सरकार को उसके कार्यों या निष्क्रियताओं के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
- तत्काल मामलों को उठाकर और चर्चा शुरू करके, सांसद स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण और सरकारी प्रतिक्रियाएं, जो शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- स्थगन प्रस्ताव के परिणामस्वरूप होने वाली चर्चाएं तत्काल मामलों को सार्वजनिक डोमेन में लाती हैं, जिससे देश को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ती है।
- सरकार स्थगन प्रस्ताव पर बहस के दौरान उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य है।
- यह सरकार को इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपने रुख, कार्यों और योजनाओं को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता है, इस प्रकार अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
- यह विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने और सरकार की कमियों को सामने लाने का अधिकार देता है।
- यह उन्हें असंतोष को आवाज देने और सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए एक मंच देता है, स्वस्थ लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा देता है।

स्थगन प्रस्ताव पर आलोचना-

- स्थगन प्रस्ताव एक बार स्वीकार होने के बाद सदन की नियमित कार्यवाही को बाधित करता है।
- उस सत्र के लिए निर्धारित अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य, बहस या बिल विलंबित या स्थगित हो सकते हैं , जिससे संसद की समग्र उत्पादकता प्रभावित हो सकती है।
- स्थगन प्रस्ताव से उत्पन्न बहस समय लेने वाली हो सकती है।
- कुछ आलोचकों का तर्क है कि स्थगन प्रस्ताव अन्य संसदीय प्रस्तावों के साथ ओवरलैप होता है, जैसे कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तत्काल चर्चा के लिए जो तत्काल मामलों पर चर्चा करने के अवसर भी प्रदान करते हैं।
- कुछ मामलों में, स्थगन प्रस्ताव का दुरुपयोग तत्काल मामलों को संबोधित करने के बजाय राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- जबकि स्थगन प्रस्ताव तत्काल मामलों को उठाता है और सरकार के ध्यान की मांग करता है, यह तत्काल कार्रवाई या समाधान की गारंटी नहीं देता है।

Yojna IAS yojnaias.com

भारतीय संसद में प्रस्तावों के प्रकार-

'शून्य काल': –

- प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय जिसे "शून्यकाल" के रूप में जाना जाता है। इसे शून्यकाल कहा जाता है क्योंकि यह दोपहर 12 बजे होता है। इसे 1962 में भारतीय संसदीय मामलों में पेश किया गया था। इस अवधि में, संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना दिए महत्वपूर्ण मामले उठा सकते हैं।

अल्पकालिक चर्चा:-

सदस्य औपचारिक प्रस्ताव या वोट के बिना **छोटी अवधि के लिए चर्चा उठा** सकते हैं।

- इसे दो घंटे की चर्चा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिये आवंटित समय दो घंटे से अधिक नहीं होना चाहिये।
- अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने का इच्छुक कोई भी सदस्य **लिखित में नोटिस दे सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से और सटीक रूप से उस विषय को विनिर्दिष्ट** किया जा सकता है जिसे उठाया जाना अपेक्षित है।
- नोटिस के साथ एक व्याख्यात्मक नोट भी होना चाहिए जिसमें **चर्चा को उठाने के कारणों का उल्लेख हो और कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हों।**
- चर्चा संबंधित मंत्री के उत्तर के साथ समाप्त होती है।

अविश्वास प्रस्ताव:-

- सामूहिक जिम्मेदारी संसदीय लोकतंत्र का सार है। सत्ता में बने रहने के लिए मंत्रिपरिषद को हर समय सदन का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। **लोकसभा में विपक्षी दल** सदन में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने **पर सरकार गिर जाती है।**

विश्वास प्रस्ताव:-

- विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है जिससे वह साबित कर सके कि उनके पास बहुमत है।
- विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में इस पर मतदान होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में तथा कितने विपक्ष में हैं ।
- अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते है तो सरकार को कोई खतरा नही होता है।

आगे की राह-

- मणिपुर में जातीय हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से तत्काल चर्चा की हालिया मांग के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। संसद में प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी शर्तें और निहितार्थ हैं।

स्रोत: IE

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com